संख्या- 97/2017/2207/71-1-2017-जी-322/2012

प्रेषक

डा0 अनिता भटनागर जैन
अपर मुख्य सचिव
उ0प्र0 शासन।

सेवा में

1- महानिदेशक,
चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण
उ0प्र0 लखनऊ।

2- कुलपति,
किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय ,
उ0प्र0 लखनऊ।

3- कुलपति,
ग्रामीण आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय,
सैफई इटावा।

4- निदेशक,
एस0जी0पी0जी0आई0
लखनऊ।

5- निदेशक,
डा0 राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान
संस्थान, लखनऊ।

6- निदेशक,
सुपर स्पेशियलिटी बाल चिकित्सालय एवं
शैक्षणिक संस्थान, नोयडा।

7- समस्त
प्रधानाचार्य, राजकीय मेडिकल कालेज,
उ0प्र0।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1 लखनऊ : दिनांक 11 अगस्त, 2017

विषय:- स्वाइन फ्लू बीमारी की रोकथाम एवं प्रभावी प्रबन्धन के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर अवगत कराना है कि स्वाइन फ्लू का प्रकोप प्राय: प्रतिवर्ष माह दिसम्बर से प्रारम्भ होकर माह फरवरी तक रहता है परन्तु इस वर्ष माह जुलाई में भी स्वाइन फ्लू से ग्रस्त कई रोगियों के मामले संज्ञान में आये है। स्वाइन फ्लू जैसी बेमौसम बीमारी की रोकथाम के प्रभावी प्रबन्धन की आवश्यकता महसूस की जा रही है।

2- अत: इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि स्वाइन फ्लू बीमारी की रोकथाम एवं प्रभावी प्रबन्धन हेतु निम्नानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाय:-

1- प्रदेश के सभी मेडिकल कालेजों व विशेषकर के0जी0एम0यू0 लखनऊ, एस0जी0पी0जी0आई0 लखनऊ जहां से स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं (चिकित्सकों/पैरामेडिकल स्टाफ) के स्वाइन फ्लू से ग्रस्त होने की सूचना प्राप्त हुई है, उन सभी स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं (चिकित्सकों/पैरामेडिकल स्टाफ) को तत्काल स्वाइन फ्लू के टीके लगवाये जाय।

2- प्रदेश के सभी मेडिकल कालेजों में भर्ती होने वाले स्वाइन फ्लू के मरीजों के इलाज के लिए केवल उन्हीं स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को लगाया जाय जिन्हें स्वाइन फ्लू के टीके लगाये जा चुके है।

3- सभी मेडिकल कालेजों में स्वाइन फ्लू के मरीजों के उपचार के लिए एक आईसोलेटेड वार्ड सुरक्षित कर लिया जाय।

4- स्वाइन फ्लू के मरीजों के उपचार के दौरान मरीजों एवं स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं द्वारा रोकथाम के सभी उपाय यथा चेहरे पर मास्क लगाना, हर बार साबुन से हाथ धुलना आदि अनिवार्य रूप से किया जाय।

5- सभी मेडिकल कालेजों में सर्जिकल मास्क, एन095 मास्क, टैमीफ्लू टैबलेट, पी0पी0ई0 किट, वैक्सीन एवं अन्य उपचार सामग्री का भण्डारण सुनिश्चित कर लिया जाय।

6- डेंगू तथा अन्य वेक्टर जनित रोगों को अधिसूचना दिनांक 09-11-2016 द्वारा नोटिफियेबिल डिजीज घोषित किया जा चुका है, जिसके अन्तर्गत सभी चिकित्सालयों, निजी नर्सिंग होम आदि स्वाइन फ्लू, डेंगू एवं वेक्टर जनित रोगों से ग्रस्त मरीजों की सूचना जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी को अनिवार्य रूप से दी जानी है। अत: सभी राजकीय मेडिकल कालेजों एवं उक्त स्वायत्शासी संस्थानो में उक्त बीमारियों से ग्रसित मरीजों के भर्ती होने की सूचना अनिवार्य रूप से संबंधित जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारियों को अवश्य दी जाय।

7- स्वाइन फ्लू, डेंगू तथा अन्य वेक्टर जनित रोगों की जॉच की सुविधा मरीजों को उपलब्ध करायी जाय, यदि किसी मेडिकल कालेज/संस्थान में उक्त सुविधा उपलब्ध नही है तो जॉच से संबंधित सैम्पल निकट के मेडिकल कालेज/संस्थान को भेजकर जॉच कराया जाना सुनिश्चित करें।

3- उक्त आदेशो का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

भवदीया,

(डा0 अनिता भटनागर जैन)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या:- 97/2017/2207 (1)/71-1-2017- तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0, शासन।
2- महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ।
3- निदेशक, संचारी रोग, उ0प्र0 लखनऊ।
4- संबंधित जनपदो के जिलाधिकारी, उ0प्र0।
5- संबंधित जनपदो के मुख्य चिकित्साधिकारी, उ0प्र0।
6- चिकित्सा अनुभाग-5/ चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-2
7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अनिल कुमार)
उप सचिव।